२०/८/२५ पत्रावली पेश हुई। कम्पोजर प्रार्थी अनुपस्थित आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं न्यायालय समय समाप्ति तक एवं फिर से बार-बार आवाज लगाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अग्रिम हाजरी-अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के काबिल एवं दाखिल दफ्तर हो।

२०/८

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर